

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2438
जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाओं और आर्थिक नुकसान में कमी

2438. श्री गौरव गोगोई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली हताहतों को कम करने के लिए सरकार के लक्ष्य क्या हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों में राजमार्गों पर चिह्नित किये गये ब्लैक स्पॉटों की संख्या कितनी है तथा उनमें सुधार किये गये स्पॉटों का प्रतिशत कितना है;
- (ग) दंड, इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन और सुरक्षा ऑडिट के संबंध में मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा दोपहिया चालकों और पैदल यात्रियों की होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या लक्षित उपाय किए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार ने सड़क की खराबियों, तेज गति और नशे में वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारत 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और दुर्घटनाओं की संख्या को 50% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) अब तक श्रृंखला 2020-22 के लिए 1330 दुर्घटनाप्रवण स्थलों (ब्लैक-स्पॉट) की पहचान की गई है, जिसके लिए 612 अल्पकालिक उपाय और 236 दीर्घकालिक उपाय पूरे किए जा चुके हैं।

(ग) सरकार ने अधिसूचना का.आ. 3110 (अ) दिनांक 28 अगस्त, 2019 और का.आ. 3147 (अ) दिनांक 30 अगस्त, 2019 के माध्यम से 1 सितंबर, 2019 को मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत अपराधों के लिए बढ़े हुए दंड के प्रावधानों सहित लगभग साठ धाराएँ लागू होने की तिथि निर्धारित की है। इसके अलावा, सरकार ने का.आ. 2806 (अ) दिनांक 12 जुलाई, 2021 के माध्यम से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 47 (मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 136ए) को 15 जुलाई, 2021 से लागू किया।

सरकार ने सा.का.नि. अधिसूचना 575 (अ) दिनांक 11 अगस्त 2021 के माध्यम से देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम अधिसूचित किए हैं।

(घ) और (ङ.) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं जिनमें तेज़ गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना/शराब और मादक पदार्थों का सेवन करना, विपरित दिशा/लेन में वाहन चलाना अनुशासनहीनता, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, हेलमेट और

सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि शामिल है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 78% सड़क दुर्घटनाएँ ड्राइवरों की गलती के कारण हुईं।

संसद द्वारा पारित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यातायात उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि, इसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर दंड में वृद्धि, वाहन फिटनेस और ड्राइविंग परीक्षणों का कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को वापस बुलाना, थर्ड पार्टी बीमा को सुव्यवस्थित करना और हिट एंड रन मामलों के लिए अधिक मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं। संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए कानून को सुदृढ़ किया है।

सरकार ने चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रेश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान हैं जैसे कि: -

- पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान आईआरसी: 103-2012 "पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश" में निर्दिष्ट किए गए हैं। 17 जून, 2015 को एक परिपत्र भी जारी किया गया है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।
- आईआरसी :99-2018 में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं , जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सड़कों पर विभिन्न यातायात उपाय जैसे रंबल स्ट्रिप, स्पीड बम्प्स, स्पीड टेबल/उभरे हुए पैदल यात्री क्रॉसिंग आदि प्रदान किए गए हैं।
